लापरवाही करने पर अधिकारी व कर्मचारी की जुर्माने के साथ जा सकती है नौकरी : टीसी गुप्ता

राईट टू सर्विस कमिशन के मुख्य आयुक्त टीसी गुप्ता अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश देते हुए। (छाया : गोयल)

कैथल, 3 सितम्बर (महेश गोयल) : राईट टू सर्विस कमिशन के मुख्य आयुक्त टीसी गुप्ता ने बताया कि आमजन के लिए विभिन्न सरकारी सेवाओं का लाभ ऑनलाईन व्यवस्था से समयबद्ध देने के लिए सेवा का अधिकार अधिनियम लागू है, इसलिए सभी विभागाध्यक्ष सेवा के अधिकार अधिनियम के तहत समयबद्ध सेवाएं मुहैया करवाना सुनिश्चित करें। इस कार्य में किसी भी प्रकार की कोताही नहीं होनी चाहिए। लापरवाही करने पर संबंधित अधिकारी व कर्मचारी को जुर्माना लगाया जाएगा, इतना ही नही तीन बार जुर्माना होने पर संबंधित व्यक्ति की नौकरी भी जा सकती है। राईट टू सर्विस कमिशन के मुख्य आयुक्त टीसी गुप्ता कोयल कॉम्पलैक्स में सेवा के अधिकार अधिनियम विषय पर समीक्षा बैठक लेकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दे रहे थे। उन्होंने कहा कि आमजन को अटल सेवा केंद्र के माध्यम से विभिन्न सेवाओं का लाभ दिया जाता है। सभी अटल सेवा केंद्र संचालकों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाए, ताकि आमजन के कार्य करने में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं हो। अटल सेवा केंद्र में सेवा लेने के लिए निर्धारित फीस 10 रुपये से लेकर 50 रुपये तक तय है, कोई भी अटल सेवा केंद्र संचालक निर्धारित फीस से ज्यादा लेता हुआ पाया गया तो उस केंद्र का तुरंत लाईसैंस रद्द किया जाए। सभी विभागाध्यक्ष अपने-अपने विभाग से संबंधित सेवाओं के बारे में प्रचार-प्रसार करें और उसके बैनर बनाकर भी कार्यालयों के बाहर चस्पा करें। उन्होंने कहा कि आमजन को 546 सेवाएं मुहैया करवाई जा रही हैं। इन सभी सेवाओं को देने के लिए समय निर्धारित किया गया है। सभी विभाग समय सीमा में सेवाओं का लाभ दें, ताकि आमजन को इसका सीधा लाभ पहुंचे। उन्होंने कहा कि समय पर सेवा मुहैया करवाने पर जिला का स्कोर बनता है, इस समय सरल डैश बोर्ड पर जिला कैथल 9.5 अंकों के साथ पांचवें स्थान पर है, इसमें सुधार लाकर प्रथम स्थान पर लाने का प्रयास किया जाए। हाल ही में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आस यानि ऑटो अपील सॉफ्टवेयर लांच किया है, जोकि सेवाएं देने में देरी होने पर स्वयं ही अपीलीय अधिकारियों के पास चली जाएगी और उस पर आवश्यक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।